कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"लेखा /बजट वर्ग" उत्तराखण्ड़ देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः– 08 /19 बजट (नाबार्ड वित्त पोषित)/2019–20 दिनांकः– 25. 05 .2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी),
प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, ...।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में नाबार्ड वित्त पोषित योजना (आर0आई0डी0एफ0–16 से 24 तक) के कार्यो में आवंटन।

सन्दर्भः– (1) शासनादेश संख्या–635/III (3)/19–01 (नाबार्ड)/2014 दिनांक–22.05.2019
(2) सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–132/XXVII (6)/430/एक /2008/2019 दि0–29.03.19
(3) सचिव,वित्त उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–129/ XXVII (6)/430/एक /2008/2019 दि0–29.03.19

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 22.05.2019 (क0सं0 1) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के विभागीय बजट में अनुदान संख्या–22, लेखाशीर्षक– 5054–04–337–98–01–24 (पूँजीगत) नाबार्ड वित्त पोषित योजना (आर0आई0डी0एफ0 16 से 24 तक) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट ₹ 360.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 120.00 करोड़ (₹ एक सौ बीस करोड़) की धनराशि अवमुक्त की गई है । वर्णित शासनादेश दिनांक 22.05.2019 के द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि तथा सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेशों (क्र0सं0 2 एवं 3) के द्वारा प्रदेश में दिनांक 01.04.2019 से एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली, आई0एफ0एम0एस0 (IFMS) लागू किये जाने के क्रम में एवं योजनान्तर्गत फील्ड अधिकारियों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु सूचित धनावंटन की मॉग के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 में संलग्न सूची के अनुसार विभागीय अधिशासी अभियन्ताओं/आहरण वितरण अधिकारियों को नाबार्ड वित्त पोषित योजना (आर0आई डी0एफ0 16 से 24 तक) में कार्यवार/खण्डवार/ फेजवार कुल ₹ 110.00 करोड़ (एक सौ दस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न वर्णित शर्तो के अन्तर्गत आवंटित किया जाता है।

आवंटन की शर्तेः–(1) संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यों की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए खण्ड स्तर से संबंधित कार्य हेतु अनुबंधित संस्थाओं को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 में भुगतान की निहित शर्तो के अनुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

2–संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यो हेतु उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय करते समय इन कार्यो की स्वीकृति के संबंध में राज्य योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3–स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 254/3(150)–2017/xxvii (1)/2019, दिनॉक 29/3/2019 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, संशोधन 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1, (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4–ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अंतर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण व्यवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

5–कार्य हेतु अनुमोदित आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार संबंधित अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6–धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा, जब खण्ड द्वारा नाबार्ड से योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि का विस्तार संबंधी स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ नाबार्ड की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

7–यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवंटित धनराशि का उपयोग निर्माणाधीन कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जाय। किसी भी दशा में व्ययाधिक्य व आवंटित धनराशि से अधिक का व्यय न किया जाय। तथा कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए सम्पादित किया जायेगा।

क्रमशः– पृष्ठ 2 पर